

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।

पत्रांक: 100 /5-3 दिनांक, सहारनपुर, 04 जुलाई 2014।

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

1- महामहिम, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एस0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए. बी., सी., डी श्रेणी के पात्र ठेकेदारों अथवा सामग्री निर्माता से प्रतिशतता के आधार पर जनपद सहारनपुर हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। टैण्डर दिनांक 19.07.2014 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जा सकती है। प्राप्त टैण्डर उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 19.7.2014 को सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। दिनांक 19.7.2014 का अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेंगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। टैण्डरदाता चाहे तो टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। टैक्निकल एवं फाइनेन्सियल विड अलग-अलग लिफाफे में सील बन्द प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर सामग्री का नाम व विड का प्रकार स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

2-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	जनपद का नाम/आपूर्ति स्थल का नाम	जमानत की धनराशि	टैण्डर फर्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	RCC Pol size - 150x100x1800 mm. making with Cement: Concrete in Ratio 1:2:4, MS. Steel bar 4 number 6mm. daya, 4 Ring supply & making including all material etc. T&P for at site as per column 4 F.O.R with four hole.	2500 अनुमानित	जनपद सहारनपुर रूडकी-पंचकूला मार्ग किमी 33-35	88000	(600+100 + वैट)	आपूर्ति आदेश के दिनांक से 07 दिन के अन्दर

3- कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0 7 में अंकित है।

4- कॉलम संख्या-3 में दी गयी सामग्री की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।

5- निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 5.7.2014 से दिनांक 19.7.2014 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे सांय 4.00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो ' प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर ' के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6- दिनांक 19.7.2014 को अपरान्ह 2.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त की जायेगा।

7- समस्त कार्यो को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

8- निर्धारित जमानत की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।

9- अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

10- अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

11- स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प ड्यूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

12- किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

13- टैण्डरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

14- कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग-वृत्त में जहां उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

- 15- राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 16- कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- 17- स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 18- निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ सभी सूचना/डाक्यूमेन्ट्स लोक निर्माण विभाग के निर्धारित प्रपत्र टी0-4, टी0-5, टी0-6 में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 19- निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।
- 20- टैण्डर के साथ किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एम0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए, बी, सी, डी श्रेणी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, पैननम्बर, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं। सामग्री निर्माता द्वारा सामग्री निर्माण करने का प्रमाण पत्र, पैननम्बर, व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं।
- 21- निविदा को www.saharanpurnic.in पर भी देखा जा सकता है।

(अदिति शर्मा)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर।

संख्या 100 / 5-3 उक्तदिनांकित।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 2- अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें। (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)।
 - 3- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 4- मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
 - 5- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर
 - 6- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
 - 7- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
 - 8- लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड सहारनपुर।
 - 9- सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।
 - 10- जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
 - 11- उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहारनपुर एवं देवबन्द।
 - 12- समस्त वन क्षेत्राधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर को 15-15 प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ।
 - 13- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सहारनपुर।
 - 14- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सहारनपुर।
 - 15- प्रभारी, एन0आई0सी0, सहारनपुर को राजकीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
 - 16- प्रशासनिक अधिकारी प्रभागीय कार्यालय सहारनपुर।
 - 16- नोटिस बोर्ड।

(अदिति शर्मा)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

1- महामहिम, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर, किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एस0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए. बी. सी. डी श्रेणी के पात्र ठेकेदारों अथवा सामग्री निर्माता से प्रतिशतता के आधार पर जनपद सहारनपुर हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। टैण्डर दिनांक 19.7.2014 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा सकती है। प्राप्त टैण्डर उसी दिन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनांक 19.7.2014 को सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। दिनांक 19.7.2014 का अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेंगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। टैण्डरदाता चाहे तो टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफा सीलबंद हो तथा उसके ऊपर सामग्री का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है।

2-

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	जनपद का नाम तथा आपूर्ति स्थल का नाम	जमानत की धनराशि	टैण्डर फर्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Supply of Galvanised steel Barbed wire for fencing as per I.S. 278-1978 of latest amendments Type "A" in size designations 5 as specified in I.S. The Hot Dip zinc coating or line and point wise shall satisfy the requirements as laid down for the lihgt coated wire of IS: 4826-1979 or latest amendments.	2.50एम0टी0	जनपद सहारनपुर 1-रूडकी पंचकूला मार्ग कि०मी० 33-35 दोनों पटरी	34000	(450+100) + वैट	आपूर्ति आदेश के दि० से 07 दिन के अन्दर

- 3- कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं० 7 में अंकित है।
4- कॉलम संख्या-3 में दी गयी सामग्री की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
5- निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी से निर्धारित मूल्य देकर दि० 5.7.2014 से दि० 19.7.2014 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे सांय 4.00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो "प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर" के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें भी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
6- दिनांक 19.7.2014 को अपरान्ह 2.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त की जायेगा।
7- समस्त कार्यो को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।
8- निर्धारित जमानत की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर०सी०डी०ए० या पोस्ट आफिस की एन०एस०सी० के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।
9- अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10- अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11- स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प ड्यूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।
12- किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
13- टैण्डरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यदेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

- 14- कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग-वृत्त में जहाँ उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।
- 15- राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 16- कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- 17- स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 18- निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के साथ सभी सूचना/डाक्यूमेन्ट्स लोक निर्माण विभाग के निर्धारित प्रपत्र टी0-4, टी0-5, टी0-6 में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 19- निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।
- 20- टैण्डर के साथ किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, एम0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए, बी, सी, डी श्रेणी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, पैननम्बर, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं। सामग्री निर्माता द्वारा सामग्री निर्माण करने का प्रमाण पत्र, पैननम्बर, व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं।
- 21- निविदा को www.saharanpurnic.in पर भी देखा जा सकता है।

(अदिति शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर।

संख्या 101 / 5-3 उक्त दिनांकित।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 2- अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें। (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)।
 - 3- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
 - 4- मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
 - 5- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
 - 6- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
 - 7- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
 - 8- लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड सहारनपुर।
 - 9- सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।
 - 10- जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
 - 11- उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहारनपुर।
 - 12- समस्त वन क्षेत्राधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर को 15-15 प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ।
 - 13- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सहारनपुर।
 - 14- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सहारनपुर।
 - 15- प्रभारी, एन0आई0सी0, सहारनपुर को राजकीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
 - 16- प्रशासनिक अधिकारी प्रभागीय कार्यालय सहारनपुर।
 - 17- नोटिस बोर्ड।

(अदिति शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर।